शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक – 14 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 25 – 1 अप्रैल 2024 मूल्य पांच रूपये

क्या विधानसभा अध्यक्ष सरकार को बचा पायेंगे?

- निर्दलीयों के त्यागपत्रों पर फैसला लटकाने से उठी चर्चा
- जब निर्दलीय भाजपा में शामिल हो चुके हैं तो अध्यक्ष दल बदल के तहत कितने समय तक कारवाई रोक पायेंगे
- यदि निर्दलीय त्यागपत्र वापस लेकर केवल भाजपा में शामिल होने की ही जानकारी दे तो क्या होगा?
- क्या यह परिस्थितियां राष्ट्रपति शासन के संकेत तो नही है

शिमला/शैल। क्या विधानसभा अध्यक्ष निर्दलीय विधायकों के त्यागपत्रों को स्वीकारने या अस्वीकारने का फैसला लेने में देरी करने से सरकार को गिरने से बचा पायेंगे? क्योंकि इस फैसले को लम्बाने का एक ही अर्थ है कि किसी तरह निर्दलीय विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों को रिक्त होने और वहां पर भी उपचुनाव की घोषणा को चुनाव अधिसूचना

जारी होने तक रोक रखा जा सके। निर्दलीय विधायक भाजपा में शामिल हो चुके हैं और भाजपा ने उन्हें उन्हीं क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार घोषित करके इस पर मोहर लगा दी है कि यह लोग राजनीतिक दल में शामिल हो चुके हैं। इनके भाजपा में शामिल होने के बाद यह लोग स्वत: ही दल बदल कानून के दायरे में आ गये हैं। दल बदल कानून के दायरे में आने के बाद इनके खिलाफ निष्कासन की कारवाई करना विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व है। यदि इन लोगों ने त्यागपत्र न दिये होते और सिर्फ भाजपा में शामिल होने की ही जानकारी दी होती तो क्या तब भी अध्यक्ष इनके खिलाफ निष्कासन की कारवाई को लटकाये रखते? शायद नहीं। इन लोगों ने अपने त्यागपत्र सौंपकर अध्यक्ष और पूरी सरकार को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर सिर्फ यही कहा जा रहा है कि यह सब सरकार बचाने के कमजोर प्रयास है। क्योंकि इन्होंने अपने त्यागपत्र अध्यक्ष को मिलकर सौंपे हैं और इसकी वीडियो भी जारी हो चुकी है। निर्दलीय विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर उन्हें भी त्यागपत्रों की प्रति सौंपी है। राज्यपाल ने इन त्यागपत्रों को अपनी राय के साथ अध्यक्ष को भेजा। राज्यपाल ने अपनी राय में संवैधानिक प्रावधान और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का जिक्र करते हुए इन त्यागपत्रों को स्वीकार कर लेने की राय दी है। राज्यपाल ने अपनी राय में स्पष्ट कहा है कि इस विषय पर अन्तिम फैसला विधानसभा अध्यक्ष का ही विशेषाधिकार है। लेकिन इसी राय के साथ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि राज्यपाल भी पूरी घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाये हुये हैं। अब यह स्थिति बन गयी है कि कांग्रेस के बागियों को तो निष्कासित करने में अध्यक्ष ने चौबिस घंटे से भी कम का समय लिया। लेकिन निर्दलीयों को लेकर मामले को लम्बाने का प्रयास किया जा रहा है। आम आदमी की नजर में यह सरकार बचाने के असफल

प्रयास है। क्योंकि यह प्रयास तो बागियों का निष्कासन लटकाने में होना चाहिये था। विधानसभा सचिवालय ने तो निर्दलीयों के त्यागपत्र के बाद इन्हें सदन की विभिन्न कमेटीयों में सदस्य नामित किया है। क्योंकि यह अभी विधायक हैं ऐसे में यदि यह अपने त्यागपत्र वापस लेकर सिर्फ भाजपा में शामिल होने की ही जानकारी दे तो क्या अध्यक्ष इनके खिलाफ दल बदल के प्रावधान के तहत निष्कासन की कारवाई नहीं करेंगे? यदि उस स्थिति में भी कारवाई को लटकाने

शेष पृष्ठ 8 पर.....

क्या भाजपा में उठा रोष कोई आकार ले पायेगा?

शिमला/शैल। कांग्रेस के छ: बागियों और तीन निर्दलीय विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद इन सभी नौ लोगों को इनके कारण होने वाले उपचुनावों के लिये उन्हीं स्थानों से अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। हालांकि तीन निर्दलीयों पर विधानसभा अध्यक्ष का फैसला अभी आना है। इन लोगों के भाजपा में शामिल होने और साथ ही उपचुनावों के लिये उम्मीदवार भी घोषित हो जाने से वह लोग नाराज हो गये हैं जिनको हराकर यह विधायक बने थे। इन लोगोंका नाराज होना स्वभाविक है लेकिन यदि यह नाराजगी कोई ठोस आकार लेकर पूरी मुखरता के साथ इन लोगों को चुनाव में हरा देती है तब तो इस नाराजगी का कोई अर्थ बनेगा अन्यथा इसे आत्मघाती कदम ही करार दिया जायेगा। क्योंकि जब कांग्रेस के यह बागी राज्यसभा में क्रॉसवोटिंग करके भाजपा में शामिल होने का फैसला ले चुके थे तब इन लोगों को इसकी भनक भी न लग पाना यह प्रमाणित करता है कि यह नाराज लोग प्रदेश की राजनीति की कितनी समझ और जानकारी रख रहे थे।

इसी के साथ एक बड़ा सवाल यह भी उभर रहा है की प्रदेश में जो कुछ घटा है क्या उसकी योजना प्रदेश में ही तैयार हुई या दिल्ली में हाईकमान के यहां। भाजपा की जानकारी रखने वाले जानते हैं की भाजपा संघ परिवार की एक इकाई मात्र है । इस पूरे परिवार का संचालन संघ के पास है। भाजपा में कुछ भी महत्वपूर्ण संघ की पूर्व अनुमति के बिना नहीं घटता है। इससे स्पष्ट हो जाता है की प्रदेश की इस राजनीतिक अस्थिरता को संघ की पूर्व अनुमति हासिल है। ऐसे में इन नौ लोगों के भाजपा में शामिल होने और चुनाव उम्मीदवार बनने के फैसले का विरोध सीधा संघ का विरोध होगा। इस समय भाजपा के इस फैसले का विरोध करने के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर लिये गये अन्य फैसलों का भी इन कथित नाराज लोगों को विरोध करना होगा। संघ देश को हिन्दू राष्ट्र घोषित करना चाहता है है और

शेष पृष्ठ 8 पर.....

राज्यपाल ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इतिहास विदों से प्रदेश के इतिहास व लोक संस्कृति का निरन्तर अध्ययन कर शोध करने का आहवान किया है। यह बात राज्यपाल ने धर्मशाला में केन्द्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के इतिहास विभाग व भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारम्भ अवसर पर कही।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थल अनेक ऐतिहासिक घटनाओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के परिचायक हैं। यह धार्मिक स्थल प्रदेश की जीवन्त ऐतिहासिक विरासत को समेटे हुए हैं। इनका गहन अध्ययन कर प्रदेश के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को कलमबद्ध किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां इस विरासत को जान और समझ सकें।

उन्होंने प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिमाचल के धार्मिक और पौराणिक स्थल अनेक घटनाओं के गवाह रहे हैं। इनका गहन अध्ययन कर प्रदेश के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को संजोया जाना चाहिए।

इस अवसर पर मुख्य वक्ता डॉ. बालमुकुंद पाण्डेय ने कहा कि देश में बदली हुए परिस्थितियों के फलस्वरूप आज देश के गौरवमयी इतिहास को पढ़ाया जा रहा है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल ने कहा कि विश्वविद्यालय निरन्तर नई उपलब्धियां अर्जित कर रहा है। विश्वविद्यालय को भारत सरकार द्वारा स्वायत्त विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

इतिहासकार प्रो. सुष्मिता पाण्डेय और अन्य विद्वानों ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

इस मौके पर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के न्यूज लेटर, प्रो. सत प्रकाश बंसल व अन्य द्वारा लिखित कविताओं पर आधारित पुस्तक, डॉ. प्रिया द्वारा लिखित काव्य संग्रह और शोधार्थी भरत सिंह द्वारा रचित प्रदेश की लोक संस्कृति पर आधारित पुस्तक 'नुआला' का विमोचन भी किया गया।

विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन प्रो. प्रदीप कुमार, कुल सचिव प्रो. सुमन शर्मा, उपायुक्त हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री और गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे

कर्मचारियों की सुविधा के लिए नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश:मनीष गर्ग

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश मनीष गर्ग ने बताया कि आगामी चुनावों में सभी मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग अनेक कारगर कदम उठा रहा है।

उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के अनुसरण में हिमाचल में होने वाले आगामी लोकसभा एवं विधानसभा उप – चुनावों के लिए अनिवार्य सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों को मतदान के दिन ड्यूटी पर तैनात होने पर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है।

गर्ग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग के डाक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस सेवाएं, अग्निशमन सेवाएं, हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक, परिचालक (जिनमें लोकल बस रूट शामिल नहीं) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दुग्ध आपूर्ति सेवाएं करने वाली हिमाचल प्रदेश राज्य दुग्ध प्रसंघ और दुग्ध सहकारी समितियां, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत स्थानीय मीडिया प्रतिनिधि, जल शक्ति विभाग में सेवाएं दे रहे पम्प ऑपरेटर व टर्नर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में कार्यरत इलेक्ट्रिशियन व लाइनमेन और कारागार स्टाफ अनिवार्य सेवाओं के अन्तर्गत शामिल किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि फार्म 12 डी के माध्यम से इन मतदाताओं को पोस्टल वोटिंग सेंटर (पीवीसी) के माध्यम से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों पर आरओ/एआरओ द्वारा अधिसूचित तिथियों पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों को इस संबंध में कर्मचारियों की सुविधा के लिए नोडल अधिकारी नामित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश में 34,412 शस्त्र धारकों ने जमा करवाए शस्त्र

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक सम्पन्न करवाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सभी दिशा – निर्देशों की शत प्रतिशत अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों द्वारा 34,412 शस्त्र जमा करवाए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि बद्दी में 504, बिलासपुर में 2,885, चम्बा में 4,345, हमीरपुर में 928, कांगड़ा में 3,827, किन्नौर में 1,043, कुल्लू में 3,091, लाहौल – स्पीति में 202, मण्डी में 2,924, नूरपुर में 1,223, शिमला में 7,325, सिरमौर में 3,021, सोलन में 1,268 और ऊना जिला में 1,826 शस्त्र जमा करवाए जा चुके हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के मध्यनजर प्राप्त विभिन्न शिकायतों का भी समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। 16 मार्च, 2024 से 30 मार्च, 2024 तक प्राप्त कुल शिकायतों में से 83 प्रतिशत शिकायतों का 100 मिनट की अवधि के भीतर समाधान सुनिश्चित किया गया है। शिकायत समाधान दर औसतन 26 मिनट 44 सैकेण्ड रही है।

शिमला नागरिक सभा ने महंगी बिजली देने व सब्सिडी खत्म करने के निर्णय का किया विरोध

शिमला/शैल। शिमला नागरिक सभा ने बिना एनओसी व बिना नक्शा पास भवनों को महंगी बिजली देने व सब्सिडी खत्म करने के निर्णय का विरोध किया है व इसे सरकार व विद्युत नियामक आयोग का जनता विरोधी कदम करार दिया है। नागरिक सभा ने प्रदेश सरकार व विद्युत नियामक आयोग से मांग की है कि वे जनता के हित में इस निर्णय को वापिस लें। नागरिक सभा ने इस जनविरोधी निर्णय के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। नागरिक सभा ने पानी व कूड़े की दरों को बढ़ाने के खिलाफ, स्मार्ट मीटर योजना को रद्द करने तथा इस मुद्दे पर 1 अप्रैल को शिमला में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।

नागरिक सभा संयोजक संजय चौहान व सह संयोजक विजेंद्र मेहरा ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर बगैर नक्शा पास व बिना एनओसी वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी खत्म की गई, घरेलू दरों का स्लैब सवा छः रुपये किया गया व प्रतिमाह सरकार द्वारा 125 यूनिट फी बिजली देने के निर्णय को लागू न किया गया तो इसके खिलाफ जनता सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने मार्च 2022 में बिना एनओसी वाले भवन मालिकों को भी घरेलू उपभोक्ता की श्रेणी में रखा था व उनके लिए भी वही नियम शर्तें लागू किये गए थे जोकि नगर निकायों से एनओसी प्राप्त भवन मालिकों के लिए लागू थे। शिमला नगर निगम व अन्य नगर निकायों में काफी इलाके नगर निगमों की स्थापना के काफी बाद में जोड़े गए थे जिन्हें मर्ज्ड एरिया भी कहा जाता है। इन मर्ज्ड एरिया में नगर निगम में शामिल होने से पहले बने मकानों के लिए कोई एनओसी व नक्शा की ज़रूरत नहीं होती थी। ऐसे हज़ारों भवन बिना एनओसी व नक्शा के हैं जिसमें जनता की कोई गलती नहीं है। शिमला शहर जैसी जगह में कई गरीब बस्तियों में जनता ने कड़ी मेहनत से की कमाई से मकान बनाये हैं जिन्हें एनओसी नहीं दी गयी। हालांकि सरकारें इन गरीबों को मकान बनाने के लिए दो बिस्वा ज़मीन देने की घोषणाएं कई बार कर चुकी हैं जो आज तक नहीं मिली। सरकार के प्रशासनिक आदेशों व निर्णयों के नतीजा जनता क्यों भुगते। सत्तारुढ़ रही सभी सरकारों की गलतियों के कारण मर्ज्ड एरिया व गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग आज भी विकास की मुख्यधारा से बाहर हैं। ऐसे में विद्युत नियामक आयोग द्वारा इन भवनों को सब्सिडी व 125 यूनिट फ्री बिजली के दायरे से बाहर करना न्यायसंगत नहीं है व जनता विरोधी कार्य है। प्रदेश सरकार को मार्च 2022 के अपने निर्णय को स्पष्ट तौर पर लागू करवाने के लिए कदम उठाने चाहिए थे तथा 1 अप्रैल 2024 से प्रस्तावित एनओसी व नॉन एनओसी के घरेलू उपभोक्ता के स्लैब को पूर्ववत रखना चाहिए। उपभोक्ताओं द्वारा बिजली कनेक्शन लेने के लिए केवल मात्र पहचान पत्र व सम्पत्ति के मालिकाना हक के प्रमाणपत्र को ही घरेलू उपभोक्ता की परिभाषा तय करने का आधार माना जाना चाहिए जैसा कि मार्च 2022 में सरकार ने तय किया था। उन्होंने कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं में दो स्लैब बनाना किसी भी तरह तर्कसंगत नहीं है व विद्युत नियामक आयोग को यह निर्णय तुरन्त वापिस लेना चाहिए। यह निर्णय भेदभावपूर्ण है व सभी नागरिकों के समानता के अधिकार का हनन है।

राज्य चयन आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया आरंभ, पहली परीक्षा आयोजित

शिमला/शैल। पेपर लीक प्रकरण के कारण भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर स्थापित किए गए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से पहली परीक्षा का आयोजन किया गया। राज्य चयन आयोग ने शनिवार को आपरेशन थियेटर असिस्टेंट द्धओटीएऋ के पोस्ट कोड 1073 के 162 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की। इस ऑनलाइन परीक्षा के लिए 447 आवेदकों को तीन परीक्षा केंद्र अलॉट किए गए थे। कैबिनेट ने 13 मार्च को ओटीए की परीक्षा आयोजित करने के लिए राज्य चयन आयोग को अधिकृत किया था।

पारदर्शी तथा मेरिट आधारित भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आने वाले समय में राज्य चयन आयोग के माध्यम से अन्य परीक्षाएँ भी आयोजित की जाएँगी। ओटीए के ये 162 पद पूर्ववर्ती हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 24 सितंबर 2022 को जारी विज्ञापन संख्या 38 – 5/2022 के माध्यम से अन्य पोस्ट कोड के साथ विज्ञापित किए गए थे। गौर रहे कि वर्तमान राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक के मामलों को देखते हुए इसे भंग कर दिया था और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना की थी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में युवाओं के हित व पेपर नीलाम होते रहे। जयराम सरकार के दौरान जहां हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक हुए, वहीं पुलिस भर्ती के पेपर भी बिके और युवाओं के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया। लेकिन वर्तमान सरकार ने पहले ही दिन से युवाओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए पारदर्शिता और मेरिट आधारित भतह सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया है। इसी दिशा में प्रदेश सरकार ने राज्य चयन आयोग की स्थापना की, ताकि युवाओं को सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्राप्त हों, पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो और युवाओं के हित सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि युवाओं का हित वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है तथा सरकारी क्षेत्र में 22 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है।

ऋण लेने के नाम पर भ्रामक प्रचार कर रही भाजपा:रजनीश किमटा

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह कांग्रेस सरकार पर ऋण लेने के नाम पर भ्रामक प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा है कि 72 हजार करोड़ से अधिक का ऋण व 10,500 करोड़ से अधिक की कर्मचारियों की देनदारियां प्रदेश कांग्रेस सरकार को भाजपा सरकार से विरासत में मिली है। उन्होंने कहा है कि वितीय कुप्रबंधन के चलते गलत निर्णयों व नीतियों के चलते पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश पर जो अनावश्यक आर्थिक बोझ प्रदेश पर डाला, उसके लिये उन्हें प्रदेश के लोगों से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। रजनीश किमटा ने कहा है कि भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की जो कोशिश की है उसके लिए उन्हें प्रदेश के लोग उसे कभी माफ नही करेंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने समय से पूर्व प्रदेश में विधानसभा उप चुनाव का अनावश्यक खर्च का बोझ डाला है और लोगों के जनमत का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने यह सब धनबल पर प्रदेश की स्वच्छ राजनीति पर जो दाग लगाया है उससे प्रदेश का शर्मसार हुआ है। भाजपा ने लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया है और इसकी सजा अब प्रदेश के लोग लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के उप चुनावो में भाजपा को देंगे। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में उप चुनाव थोप कर भाजपा ने जो गुनाह किया है उसके लिये प्रदेश के लोग उसे कभी माफ नही करेंगे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

मुख्यमंत्री को जन्मदिवस के अवसर पर बधाई देने के लिए उमड़ा सैलाब

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस नेता-कार्यकर्ता व आम लोग बड़ी संख्या में उन्हें बधाई देने ओकओवर

पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, मंत्रियों, विधायकों, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों सहित हज़ारों लोगों ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को जन्मदिवस की शुभकामनाएँ दी और उनकी दीर्घायु की कामना की। इस दौरान समर्थकों ने खूब नाटी डाली।

इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के छह बाग़ियों को भाजपा का टिकट मिलने से साबित हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने हॉर्स ट्रेडिंग की थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है और राज्य के इतिहास में पहली बार हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग इस तरह की खरीद-फरोख्त की परंपरा को स्वीकार नहीं करते हैं। बागी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा और जनता ने उन्हें विजयी बनाया, लेकिन यह नेता बिक गए और उसी जनता का साथ इन लोगों ने धोखा किया है। उन्होंने कहा कि ये न्याय की लड़ाई है और एक जून को हिमाचल प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि संघर्ष उनके जीवन का हिस्सा रहा है और राजनीतिक चुनौतियों का उन्होंने हमेशा डटकर मुक़ाबला कर सफलता पाई है। लेकिन दुख इस बात है कि भाजपा ने धनबल से सत्ता को हथियाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह से वह स्वयं कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और तथ्यों को लोगों के बीच लेकर जाएँगे।

एक प्रश्न के उत्तर में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने तथा वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्ध शाली राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है और वर्तमान राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, इसीलिए महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के दरवाज़े बंद करने से प्रदेश के राजस्व में 2200 करोड़ रुपए बढ़ौतरी वित्त वर्ष में हुई जिससे जन कल्याण के लिए योजनाएँ बनाई जा रही हैं।

इसके बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू एनएसयूआई द्वारा रिज मैदान पर लगाए गए रक्तदान शिविर में भी शामिल हुए।

लोकसभा व विधानसभा के उप चुनाव हम सबकी एक परीक्षा:रोहित ठाकुर

शिमला/शैल। शिमला संसदीय क्षेत्र के चुनाव प्रभारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पार्टी जिलाध्यक्षों व अग्रणी संगठनों से प्रदेश में होने जा रहें लोकसभा व विधानसभा चुनावों के लिए कमर कसने का आहवान करते हुए कहा है कि शिमला संसदीय सीट पर इस बार हर हाल में जीत हासिल करनी है। उन्होंने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र कांग्रेस का प्रमुख गढ़ रहा है।

प्रदेश कांग्रेस कार्यलय राजीव भवन में शिमला संसदीय क्षेत्र के जिला अध्यक्षों व अग्रणी संगठनों के प्रमुखों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि इस क्षेत्र के भाजपा सांसद अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र की जनता से बहुत दूर रहें। लोग उनकी शक्ल तक भूल गए है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव के समय वह जनता के बीच जा कर अपने को लोगों से वोट देने की दुहाई कर रहें है। उन्होंने कहा कि अपने पांच साल के इस कार्यकाल में उनका इस क्षेत्र में विकास के नाम पर कोई भी योगदान नही रहा।

रोहित ठाकुर ने कहा कि जिला अध्यक्ष व अग्रणी संगठन पार्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्षों को अपने सभी ब्लॉक अध्यक्षों के साथ पूरे तालमेल के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें सभी ब्लॉकों के दौरे कर बूथ व बीएलओ के साथ सीधा संपर्क रखना होगा। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार अग्रणी संगठनों के सभी प्रमुखों व पदाधिकारियों को भी पूरे तालमेल से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि सरकार के एक साल की उपलब्धियां व कर्मचारियों को ओपीएस के साथ महिलाओं को 1500 रुपए देने की गारंटी को सरकार ने पूरा किया है और इन्ही बातों को लेकर पार्टी को जनता के बीच जाना होगा।

रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में होने वाले लोकसभा व विधानसभा के उप चुनाव हम सबकी एक परीक्षा है जिसमें हमे हर हाल में सफल होना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विधानसभा के उप चुनाव भाजपा की देन है। सत्ता की लालसा के कारण भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की है, भाजपा को इन चुनावों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा की चारों व विधानसभा की सभी सीटों पर अपनी जीत का परचम लहरायेगी। लोग भाजपा का असली चेहरा जान व देख चुके है उन्हें इन चुनावों में करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा।

रोहित ठाकुर ने कहा कि देश मे अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है, जिसे चाहे जेल में डाल दो। जांच एजंसियों का खुल कर दुरपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव बॉन्ड भाजपा का देश का सबसे बड़ा घोटाला सावित होगा।

जनता को बतायें 25 विधायक कैसे बनायेंगे सरकार:धर्माणी

शिमला/शैल। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि भाजपा नेता प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए तर्कहीन ब्यानबाज़ी कर रहे हैं। विधानसभा में

कांग्रेस पार्टी के 34 जबकि भाजपा के 25 विधायक हैं, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रमित करने के लिए सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि 25 विधायकों से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से सरकार बना सकती है। यह कौन सा अंक गणित है। उन्होंने कहा कि 68 सदस्यों वाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा में छह सीटें ख़ाली होने के बावजूद कांग्रेस के पास 34 विधायक हैं। प्रदेश सरकार पूर्ण बहुमत में है और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि एक जून को हिमाचल प्रदेश विधानसभा की छह सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सभी छह सीटें जीतेगी। 6 उपचुनाव में से महज 1 सीट जीतने से भी कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, लेकिन भाजपा को पूर्ण बहुमत के लिए 10 सीटें चाहिए। हिमाचल प्रदेश की जनता ने 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देकर आशीर्वाद दिया था और अब उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में सभी 6 सीटें जिताकर खरीद फरोख्त की राजनीति के विरुद्ध फैसला कर ईमान बेचने वालों और धनबल से सत्ता हथियाने की कोशिश करने वालों को सबक सिखाकर प्रदेश में उठापटक की राजनीति पर रोक लगाएगी।

2022 में हिमाचल की जनता ने 5 सालों के लिए कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया है जिसे भाजपा ने धनबल से हथियाने का असफ़ल प्रयास किया जो जनता का अपमान है। लोकतंत्र में धनबल की न होकर अंततः जीत ज़नबल की होगी। भाजपा धनबल से बिकाऊ विधायकों को तो खरीद सकती है, उनके विधानसभा क्षेत्र के 9 लाख मतदाताओं को नहीं। कांग्रेस पार्टी को इन क्षेत्रों के मतदाताओं पर पूर्ण विश्वास है कि ये अपना फैसला देकर हमेशा के लिए खरीद फरोख्त और अनैतिक तरीकों से सत्ता हथियाने की कोशिश करने वाले सत्ता के लोभीयों को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव भाजपा नेताओं के लालच का नतीजा है। प्रदेश की जनता पर उपचुनाव का अनावश्यक बोझ डाला गया है। कुर्सी के लालच में भाजपा ने सरकार को गिराने का असफल प्रयास किया, जिसके लिए भाजपा नेताओं को प्रदेश की जनता से माफ़ी माँगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों ने भाजपा नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात किया और जनता उन्हें हर हाल में सबक़ बनाएगी।

राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव-2022 में कांग्रेस को सरकार बनाने और भाजपा को विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया था। लेकिन, भाजपा नेता अपनी हार को अभी भी पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए धन-बल से जनादेश को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश की जनता समझदार है और अवसरवाद की राजनीति को क़तई पसंद नहीं करती है। जिस प्रकार से छह विधायकों ने अवसरवादी राजनीति का परिचय दिया है, वह प्रदेश की जनता के सामने है। अपने चुनाव क्षेत्र की मतदाताओं को वह बताएँ कि सवा साल में ही किस लालच में आकर वह भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव के लिए उतर रहे हैं। राज्य के मतदाता उन्हें सबक़ अवश्य सिखाएँगे और सभी छह सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को विजयी बनाएँगे।

जयराम ठाकुर को छः साल बाद आई धूमल की याद:चंद्रशेखर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक चंद्रशेखर ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजेंद्र राणा की भाजपा में एंट्री धूमल परिवार को नीचा दिखाने के लिए करवाई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राणा ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद से उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल को हराया। चुनाव में भारतीय जनता पाटह्र का बहुमत होने के बावजूद धूमल मुख्यमंत्री पद हासिल करने से चूक गए। 'एक्सिडेंटल चीफ़ मिनिस्टर' जयराम ठाकुर पद संभालने के बाद एक बार भी प्रेम कुमार धूमल से मिलने उनके घर नहीं गए, लेकिन अब उप-चुनाव से पहले जयराम ठाकुर को धूमल परिवार की याद आई है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला की जनता अभी भी पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में धूमल और उनके परिवार के साथ हुए दुर्व्यवहार को भूली नहीं है। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जयराम ठाकुर ने प्रेम कुमार धूमल के कोई काम नहीं किए और राजेंद्र राणा के कामों को ही प्राथमिकता पर किया। यही नहीं, राजेंद्र राणा की भाजपा में एंट्री धूमल परिवार के विरोध के बावजूद हुई। उन्होंने कहा कि राजेंद्र राणा और धूमल परिवार के संबंध जनता के सामने हैं, लेकिन इसके बावजूद जयराम ठाकुर ने धूमल परिवार के स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई और उनका अपमान किया है।

चंद्रशेखर ने कहा कि पिछले छह वर्षों में जयराम ठाकुर एक बार भी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का हाल जानने के लिए उनके घर नहीं गए। अब जबकि उनके विरोधी राजेंद्र राणा भाजपा में शामिल हुए हैं, तो जयराम ठाकुर का धूमल प्रेम अचानक से जाग गया है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि राजेंद्र राणा ने भाजपा छोड़ने के बाद पिछले 11 वर्षों में प्रेम कुमार धूमल का कदम-कदम पर अपमान किया। राणा यूँ तो धूमल को अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं लेकिन यह भी सत्य है कि शिष्य ही गुरू की जड़ें काटने में लगा रहा। उन्होंने कहा कि अब भाजपा में शामिल होने के बाद राजेंद्र राणा किस मजबूरी में समीरपुर के चक्कर लगा रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि हमीरपुर की जनता समझदार है और राजेंद्र राणा के बहकावे में बार-बार आने वाली नहीं है। राजेंद्र राणा का असली चेहरा मतदाताओं के सामने हैं क्योंकि भाजपा का दामन थाम कर उन्होंने अवसरवादी राजनीति का परिचय दिया है। सुजानपुर की जनता आया राम-गया राम की राजनीति को करारा जवाब देगी और उप-चुनाव में उनकी हार निश्चित है। उन्होंने कहा कि छह सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस पाटह्र क्लीन स्विप करेगी और जीत का परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जन-बल से भाजपा की धनबल राजनीति का अंत होगा।

शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सब मनुष्यों में पहले से विद्यमान है।

.....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

क्या चुनावी बॉण्डज खुलासे को विपक्ष भूना पायेगा?

क्या चुनावी बॉण्ड में हुआ खुलासा चुनावी मुद्दा बन पायेगा? यह सवाल इसलिये प्रसांगिक और महत्वपूर्ण है कि इसमें हुए खुलासे के बाद नैतिकता के आधार पर स्वत:ही बहुत कुछ घट जाना चाहिये था। क्योंकि इस माध्यम से चुनावी चन्दा देने वाली अधिकांश कम्पनियों के खिलाफ केन्द्रीय जांच एजेंसियों की कारवाई सवालों के घेरे में आ गयी है। दिल्ली सरकार के खिलाफ जिस कथित शराब घोटाले को लेकर हुई कारवाई में मनीष सिसोदिया, अरविन्द केजरीवाल गिरफ्तार हुये हैं उस शराब कम्पनी के ठेकेदार ने चुनावी बॉण्ड के माध्यम से केन्द्र में सतारूढ़ भाजपा को करीब साठ करोड़ चन्दा दिया है। जबकि इस काण्ड की जांच के दौरान आप नेताओं के यहां मनी लॉडरिंग के कोई बड़े साक्ष्य सामने नहीं आये हैं। सर्वोच्च न्यायालय तक यह प्रश्न कर चुका है की मनिट्रेल कहां है। अब जब इसी शराब कम्पनी के मालिक द्वारा भाजपा को चुनावी चन्दा देने का साक्ष्य बाहर आ गया है तो स्वत: ही सारा परिदृश्य बदल जाता है। इसी तरह कांग्रेस के बैंक खातों का सीज किया जाना और चुनावों के दौरान आयकर का नोटिस आना यह प्रमाणित करता है कि कांग्रेस को चुनावों के दौरान साधन हीन करने की एक सुनियोजित बड़ी योजना पर काम किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ कारवाई होनी चाहिये। इसके गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब ऐसी कारवाई चुनावों के दौरान होगी तो निश्चित रूप से सरकार और जांच एजेंसियों की नियत और नीति पर सवाल उठेंगे ही। आज केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के खिलाफ हो रही आयकर की कारवाई पर जर्मनी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव की प्रतिक्राओं ने देश के नागरिकों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय जगत भारत पर नजर रख रहा है। यदि चुनावी बॉ ड का खुलासा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सामने न आता तो विदेशीयों की इन प्रतिक्रियाओं को देश के आंतरिक मामलों में दखल देना करार दिया जा सकता था। लेकिन चुनावी बाण्ड के इस खुलासे ने देश की जनता के सामने एक बड़ा सवाल रख दिया है जिस पर जनता को अपनी प्रतिक्रिया एक दिन तो देश के सामने रखनी ही होगी। क्योंकि कम्पनियों के इसी चन्दे के खेल का सीधा असर आम जनता पर महंगाई और बेरोजगारी के रूप में पड़ रहा है। कम्पनियां इस चन्दे की वसूली अपने उत्पाद महंगे करके जनता से वसूलती है।

लेकिन यहीं पर यह सवाल भी सामने आता है की जनता कोई संगठित इकाई तो है नहीं और अकेले व्यक्ति की प्रतिक्रिया तो **"नक्कार खाने में तूती की आवाज"** बनकर रह जायेगी। ऐसे में यह जिम्मेदारी विपक्ष में बैठे राजनीतिक दलों को निभानी होगी। इसके लिये इन राजनीतिक दलों को अपनी-अपनी सरकारों की परफॉरमैन्स को कसौटी पर लाना होगा और संगठन के भीतर भी एक खुले संवाद की जमीन तैयार करनी होगी। क्योंकि किसी भी सरकारी संगठन की नीतियों की व्यावहारिक परीक्षा उसकी जनता में परफॉरमैन्स बनती है। इस समय विपक्ष के रूप में इण्डिया गठबन्धन सामने है और उसको कमजोर करने के लिये उसके नेताओं को गठबंधन से दूर रखने के लिये कैसी रणनीति सरकार ने अपनायी है वह सामने आ चुकी है। ऐसे में इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस परआती है। लेकिन जिस तरह से उसके नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं उस पर भी केन्द्रीय नेतृत्व को ध्यान देना होगा। बड़ी निष्पक्षता से अपने राज्यों के नेतृत्व का तुरन्त प्रभाव से हल तलाशना होगा। केवल नेता के चश्मे से ही जनता और संगठन का आकलन करना घातक होगा। इस समय चुनावी चन्दा बाण्डज से जो खुलासा देश के सामने आ चुका है उससे बड़ा प्रमाणिक मुद्दा और कोई नहीं मिलेगा यह तय है।

अनुच्छेद 371 के दायरे से दूर है सीएए, असम में बांग्लादेशी हिन्दुओं का जनसंख्या घनत्वा बढ़ने की अवधारणा गलत

गौतम चौधरी

नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में कहा जा रहा है कि यह सबसे अधिक गलत और पूर्वाग्रहपूर्ण कानूनों में से एक है। इसके कारण देश में कई स्थानों पर कई विरोध प्रदर्शनों को अकसर हिंसक होते देखा गया है। अधिनियम के प्रावधान के बारे में भावनाओं को भड़काकर और गलत धारणाएं पैदा करके अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के बीच भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इससे मुसलमानों को कोई लेना-देना नहीं है लेकिन कुछ मौकापरस्त तत्व इस मामले को लेकर देश की समावेशी सांस्कृतिक माहौल में जहर घोलने की पूरी कोशिश की है। उन तत्वों को जितनी उम्मीद थी, उतनी सफलता नहीं मिली लेकिन देश के अंदर इसको लेकर भ्रम तो पैदा किया ही गया।

सीएए के बारे में सबसे अधिक प्रचारित मिथक यह है कि इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर के आदिवासी क्षेत्रों में अनुच्छेद 371 और आंतरिक भूमि परमिट के प्रावधानों को कमजोर करना है। सरकार में सर्वोच्च संगठनों द्वारा बार-बार यह दोहराया गया कि संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में सीएए लागू नहीं होगा। वास्तव में, मणिपुर राज्य को भी सीएए के दायरे से अलग ही रखा गया है। अनुच्छेद 371 का उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर भाग में रहने वाले आदिवासियों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को संरक्षित करना है और सीएए का कोई भी प्रावधान इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करता है। ऐसे में यह कानून पूर्वोत्तर के आदिवासियों को प्राप्त पूर्व के विशेषाधिकार का हनन कैसे कर सकता है?

सीएए के बारे में एक और गलत धारणा यह है कि इसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश से हिंदुओं का नया प्रवास होगा। हालांकि सीएए का उद्देश्य पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक प्रवासियों को कानूनी दर्जा देना है जो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार होने के कारण भारत आये हैं। यहां साफ कर देना उचित रहेगा कि भारत के पड़ोसी तीन मुस्लिम देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक-हिन्दू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख, जो 31.12.2014 तक भारत की सीमा में प्रवेश कर गए उन्हें ही इस कानून के तहत भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, या की जा रही है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश में हिन्दुओं की संख्या बड़ी तेजी से घटी है। इसका मलतब यह नहीं है कि वे सारे भारत में ही आ गए हैं। उनका पलायन दुनिया के कई अन्य देशों में हुआ है। इसमें से कुछ भारत भी आए हैं। उनमें से अधिकतर असम में ही नहीं बसे हैं। देश के अन्य भागों में भी उन्हें बसाया गया है। यह कांग्रेस सरकार के कालखंड में भी हुआ है। इसलिए इस पर भी विवाद ठीक नहीं है। यहां एक और मिथक का निराकरण जरूरी है कि सीएए प्रवासी बंगाली हिंदुओं के पक्ष में अपनी जनसांख्यिकीय प्रोफाइल को बदलकर असम पर बोझ डालेगा, यह भी सच नहीं है क्योंकि यह अधिनियम पूरे देश के लिए लागू है, केवल असम तक ही सीमित नहीं है। अधिकांश बंगाली हिंदू बहुत पहले ही असम के बराक घाटी में बस चुके हैं और तब से बंगाली को दूसरी राज्य भाषा घोषित किया गया है। यहां के बंगाली हिन्दू लंबे समय से असम में रह रहे हैं और असमिया संस्कृति के अंग बन चुके हैं।

इसलिए सीएए का उद्देश्य किसी भी घुसपैठिये को सुविधा प्रदान करना नहीं है। वास्तव में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार रहे हिंन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई पिछले 70 वर्षो से बुनियादी नागरिक अधिकारों से वंचित हैं। सीएए उन लोगों को नागरिकता देने वाली एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य वास्तविक शरणार्थियों को वैध बनाना है न कि घुसपैठियों को।

यह समय की आवश्यकता है कि हम स्वार्थी तत्वों द्वारा उत्पन्न इन गलत धारणाओं को भावनाओं को भड़काने वाले झूठे आख्यानों से दूर रहे। विषय को पहले खुद समझे, फिर अपने साथियों को समझाएं। अपने अन्य जानने वालों को, देशवासियों को भयमुक्त करें। यह अधिनियम एक तरह से देश के अल्पसंख्यक नागरिकों के अधिकारों पर सवाल नहीं उठाता है। वास्तव में, यह उन उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता का अधिकार देता है जो शरण के लिए भारत आये हैं। भारत हमेशा अपने समावेशी समाज और संस्कृति के लिए जाना जाता है और सदियों से इसे स्वीकार किया गया है। हमारे पूर्वजों ने सभी को आत्मसात किया है। सच पूछिए तो सीएए भारतीय संस्कृति और समावेशी उदारता की अभिव्यक्ति है।

नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था लागू होने के संबंध में वित मंत्रालय का स्पष्टीकरण

ऐसा देखने में आया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नई कर व्यवस्था से जुड़ी भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 115बीएसी(1ए) के तहत नई व्यवस्था वित्त अधिनियम 2023 में पेश की गई थी जो मौजूदा पुरानी व्यवस्था (छूट के बिना) की तुलना में इस प्रकार थी।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश की गई नई व्यवस्था 115बीएसी(1ए)		मौजूदा पुरानी व्यवस्था	
0-3 लाख	0 प्रतिशत	0-2.5 लाख	0 प्रतिशत
3-6 लाख	5 प्रतिशत	2.5 -5 लाख	5 प्रतिशत
6-9 लाख	10 प्रतिशत	5-10 लाख	20 प्रतिशत
9-12 लाख	15 प्रतिशत	10 लाख से ऊपर	30 प्रतिशत
12-15 लाख	20 प्रतिशत		
15 लाख से ऊपर	30 प्रतिशत		

यह व्यवस्था कंपनियों और फर्मो के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से डिफ़ॉल्ट व्यवस्था के रूप में लागू है और इस निर्धारण वर्ष 2024-25 के अनुरूप मूल्यांकन वर्ष है।

नई कर व्यवस्था के तहत, कर दरें काफी कम हैं, हालांकि पुरानी व्यवस्था की तरह विभिन्न छूट और कटौतियों (वेतन से 50,000 रुपये और पारिवारिक पेंशन से 15,000 रुपये की मानक कटौती के अलावा) का लाभ उपलब्ध नहीं है।

हालाँकि, नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था है, करदाता वह कर व्यवस्था चुन सकते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके लिए फायदेमंद है। नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक उपलब्ध है। बिना किसी व्यावसायिक आय वाले पात्र व्यक्तियों के पास प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए व्यवस्था चुनने का विकल्प होगा। इसलिए, वे एक वित्तीय वर्ष में नई कर व्यवस्था और दूसरे वर्ष में पुरानी कर व्यवस्था चुन सकते हैं और इसके विपरीत भी।

01-04-2024 से कोई नया परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

पर्वतों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हिमालयन एकजुटता

शिमला। 2024 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, नागरिक अधिकार संगठनों और सामाजिक, पर्यावरण न्याय के लिए प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं ने मिलकर पीपुल्स फॉर हिमालय नामक अभियान की शुरूआत की है और एक ऑन लाइन संवाददाता सम्मेलन के जरिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए एक पाँच सुत्रीय मांग पत्र जारी किया है।

संविधान में दर्ज छठवीं अनूसूची लागू करने और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर पीछले 21 दिनों तक पर्यावरणीय भूख हड़ताल करने वाले पर्यावरणवादी कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा कि अद्भुत टोपोग्राफी, संस्कृति और जीवनशैली वाले क्षेत्रों में विकास और शासन का ऊपर से थोपा जाने वाला मॉडल काम करने वाला नहीं है। लद्दाख के संघर्ष के साथ एकजुटता दर्शाते हुए पूरे हिमालय क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने प्रेस को संबोधित करते हुए, हिमालय से उठने वाली आवाजों को राष्ट्रीय स्तर पर हाशिये पर धकेले जाने को सामने रखा और कहा कि पर्वतों और उसमें रहने वाले समुदायों की भलाई के लिए निर्णयों में विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मांग को लेकर हिमालयन एकजुटता की जरूरत है।

तीस्ता प्रभावित नागरिक (ACT) की तरफ से मफ्लमित लेपचा और नार्थ इस्ट डायलॉग फॉरम की तरफ से मोहन सैकिया ने स्थानीय आदिवासी समुदायों से अनुमति लिए बिना ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों पर प्रस्तावित भारी पन विद्युत परियोजनाओं के प्रति अपनी गंभीर चिंता प्रकट की, जिनसे वहां के पर्यावरण पर बुरे प्रभाव पड़ेंगे। सैकिया ने जोड़ते हुए कहा कि ये ढांचागत परियोजनाओं का दूरगामी प्रभाव बाढ़ के रूप में नीचे तक दिखाई देता है।

जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से अतुल सती और हिमालयन नीति अभियान की तरफ से गुमान सिंह ने भूमिगत अतिक्रमण और भारी कचरे को देखते हुए बाँध, रेलवे लाईन, फोरलेन हाईवे जैसी भारी ढांचागत परियोजनाओं पर पूर्णत रोक लगाने की मांग को जोरशोर के साथ उठाया गया। उनका कहना था कि चाहे वह ब्यास में आई बाढ़ हो या फिर जोशीमठ में भूमि धंसाव ये प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानव निर्मित आपदाएं हैं, इसके लिए नीतियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने दोहराया कि अर्थव्यवस्था और शासन मुनाफा केंद्रित नहीं बल्कि जन केंद्रित होना चाहिए।

पर्वतीय महिला अधिकार मंच हिमाचल की तरफ से विमला विश्वप्रेमी, वनगुज्जर ट्राईबल युवा संगठन उतराखंड की तरफ से अमन गुज्जर ने आगे जोड़ते हुए कहा कि जिन लोगों का पर्यावरण संकट बढ़ाने और नीतियां बनाने में कोई योगदान नहीं है वही उनसे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, इसमें हिमालय के चरवाहे, भूमिहीन दलित और महिला जैसे हाशिये के लोग शामिल हैं। जब वह अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए समर्थन और एकजुटता नजर नहीं आती। अमन गुज्जर ने कहा कि एक तो हम आपदाओं से घिरे हुए हैं दूसरी तरफ लगातार हमारी भूमि पर जबरन वृक्षारोपण जैसी नीतियां अपनाई जाती हैं और हमारे जीवन, आजीविका के अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है।

क्लाईमेट फ्रंट जम्मू के अनमोल ओहरी ने ग्लेशियर क्षेत्रों में बेतरतीब रोड़ निर्माण और धार्मिक पर्यटन के मुद्दे को उठाते हुए कहा नदियों के किनारे स्थापित की जा रही विकास परियोजनाओं के कारण क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। कश्मीरी लेखक और शोधकर्ता डा. राजा मुजाफ्फर भट ने क्षेत्र में वेटलैंड विनाश के संदर्भ में कहा कि निगरानी और विनियमन के मामले में केंद्रीय संस्थान पूरी तरह से विफल और उदासीन साबित हुए हैं।

वन्यजीव जीवविज्ञानी त्सेवांग नामगियाल और ग्लेशियोलॉजिस्ट स्मृति बासनेट ने उच्च हिमालय में जैव विविधता और हिमनदों के होते नुकसान पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए अभियान के साथ अपनी आवाज मिलाई। नामगियाल ने कहा, 'पहाड़ों को जल्दबाज, अहंकारपूर्ण और बेतरतीब विकास की जरूरत नहीं है।' शांति और न्याय के साथ न्यायसंगत, टिकाऊ और लचीले पर्वतीय समाजों का निर्माण ही आगे का रास्ता है और इसके लिए उचित संसाधन वितरण और स्वामित्व के माध्यम से स्थानीय आजीविका के आधार को मजबूत करने की आवश्यकता है।

माँग पत्र 2024: पीपल फ़ॉर हिमालय

आपदा मुक्त हिमालय की दिशा में मांग पत्र: पीपल फॉर हिमालय अभियान 2024

पीपल फॉर हिमालय अभियान, हिमालय क्षेत्र के प्रगतिशील समूहों, नागरिक सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं की एक स्वायत पहल है। इस अभियान का किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं है।

1. **भूमि उपयोग भूमि आवरण के परिवर्तन की नियमित निगरानी और योजना**
- सभी बड़ी निर्माण परियोजनाओं - रेलवे, बांध और चार लेन राजमार्गों पर पूर्ण रोक और मौजूदा परियोजनाओं के सामाजिक, आर्थिक, वितीय और पारिस्थितिक प्रभावों की बहु-विषयक समीक्षा
- पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 1994 को मजबूत करके बड़ी परियोजनाओं पर जनमत संग्रह और सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से लोकतांत्रिक निर्णय लेना, सभी बड़ी विकास-निर्माण परियोजनाओं के लिए ग्राम सभाओं और निगम इकाईयों की पूर्व सूचित सहमति को अनिवार्य करना - लोकतांत्रिक निर्णय प्रणाली को चोट पहुंचाते EIA 2020 संशोधन और FCA 2023 संशोधन को रद्द करना
- शहरीकरण, वाणिज्यिक विकास और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए आपदा और जलवायु जोखिम/प्रभाव अध्ययन और भूमि संवेदनशीलता आकलन अनिवार्य करना
- मुआवज़े और पुनर्वास के कानूनों को न्यायापूर्वत ढंग से लागू करना जैसे 2013 उचित मुआवजा और पुनर्वास का अधिकार अधिनियम
- प्रदूषण और भूमि उपयोग परिवर्तन के कार्यों जैसे स्टोन क्रशर, रेत-बजरी-धातु खनन, मक्क डंपिंग और हर व्यावसायिक निर्माण कार्यों की निगरानी में नागरिकों और ग्राम सभाओं की भागीदारी सुनुश्चित करना

2. **प्रकृति आश्रित समुदायों के लिए भूमि और वन संसाधन अधिकार, प्रकृति आधारित आजीविका और संरक्षण को मजबूत करना**
- प्रकृति पर निर्भर समुदायों के निजी और सामुदायिक संसाधन अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य कानूनों और विनियमों को मजबूत करना - उदाहरण के लिए उत्तराखंड में वन पंचायत नियमावली
- भूमिहीन और विस्थापित समुदायों को भूमि आधारित आजीविका के लिए सुरक्षित भूमि पर स्वामित्व प्रदान करने के लिए भूमि सुधार और भूमि नियमितीकरण के एजेंडे को पूरा करना - उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में नौतोड़ नियम
- विकेंद्रीकृत, स्वायत और लोकतांत्रिक शासन और निर्णय प्रक्रिया के लिए संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों को न्यायपूर्वक और समयबद्ध तरीके से लागू करना- उदाहरण के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य-परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 और अन्य संवैधानिक प्रावधान (राज्य की मांगों के अनुसार)
- वन अधिकार कानून, 2006 जैसे कानूनों के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के माध्यम से जैव विविधता प्रबंधन एवं संरक्षण को मजबूत करना - पाइन (चीड़) मोनोकल्चर को चौड़ी पत्ती वाले जंगलों में परिवर्तित करना; चारे की कमी, जंगल की आग और मिट्टी के कटाव पर कार्य; वृक्षारोपण सामुदायिक मानदंडों और सहमति से फल, चारा, उर्वरक, ईंधन, फाइबर और औषधीय पौधों पर केन्द्रित हो और चरागाह के लिए खरपतवार उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाय

3. **ज्ञान और जानकारी का अधिकार और आदान-प्रदान**
- ग्राम सभाओं, पंचायतों, नगर निगम इकायों को सतही तैयारियों; आपदा प्रशिक्षण से नहीं बल्कि जलवायु अनुकूलन विकास और भूमि उपयोग की रणनीतियों में भागीदारी के लिए ज़रूरी जानकारी साझा करना - नैशनल मिशन ओन सस्टेनिंग द हिमालयन ईकोसिस्टम द्वारा किये गए नये जोखिम अध्ययनों और परामर्शों में जानकारी का नियमित आदान-प्रदान जनता और प्रशासन के बीच सुनिश्चित करना
- इन सार्वजनिक परामर्शों में सभी कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना
- जलवायु/आपदा परियोजनाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए संवाद और सुनवाई के तन्त्र स्थापित करना - हिमालयी नदी घाटियों के हाइड्रोलॉजिकल डेटा का अनिवार्य सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण; सभी औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्यिक और पर्यटन केंद्रों का हवा और पानी प्रदूषण डेटा का अनिवार्य सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण

4. **लचीली और टिकाऊ पर्वतीय अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण**
- आर्थिक रूप से लाभकारी कृषि-पारिस्थितिकी आजीविका व्यवस्था का निर्माण करना जो सभी के लिए सुलभ हो, उदाहरण के लिए पशुचारण और पशुपालन, अन्य कुटीर उद्योगों को मजबूत करके ऊन, मांस और डेयरी उत्पादन - विकेंद्रीकृत सौर और अन्य ऊर्जा प्रणालियों पर आधारित विकास
- फैला हुआ, पर्यावरण को बनाए रखने वाला और आर्थिक रूप से लाभकारी, क्षेत्र की वहन क्षमता का सम्मान करने वाले रिस्पॉंसिबल पर्यटन को बढ़ावा देना जो की समुदायों द्वारा सामूहिक रूप से विनियमित किया जाये
- प्लास्टिक/ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का कार्यान्वयन; शहरी क्षेत्रों में और टूरिस्टों के उपभोग, उत्पादन और अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन
- संसाधन उपयोग और प्रबंधन की सामूहिक प्रणालियों को पुनर्जीवित करना - पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच संतुलन के आधार पर कौशल उन्नयन
- सड़क निर्माण और अन्य निर्माण परियोजनाओं में बड़े उत्खननकर्ता और मशीन आधारित की जगह मानव कार्यबल (पारंपरिक खनन) को बढ़ावा देना, हलकी मशीनों का प्रयोग और मलबे के लिए निपटान नीति न्यूनतम उत्पादन और अधिकतम पुनः उपयोग सुनिश्चित करना
- श्रम अधिकारों की सुरक्षा, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और इसके लिए कानूनी तंत्र स्थापित करना - पर्वतीय राज्यों में SC/ST उपयोजनाओं का उचित कार्यान्वयन।
- नदी के पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरणीय जल प्रवाह और पेयजल के अधिकारों और स्थानीय मौजूदा सिंचाई योजनाओं की रक्षा करना
- जनसंख्या के बजाय जलागम और पारिस्थिकीय सीमाओं के आधार पर पंचायतों का पुनर्गठन करने पर विमर्श

5. **आपदा प्रतिक्रिया को मज़बूत करना**
- राज्य और स्थानीय स्तर पर आर्थिक और अन्य सहायता के अधिकार के अलावा एक समर्पित आपदा प्रतिक्रिया कोष का निर्माण - विकट आपदा की घटनाओं के मामले में हिमालयी राज्यों को केंद्र सरकार से समयबद्ध और पूर्ण सहायता
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का अक्षरशः कार्यान्वयन सुनिश्चित करना - पुनःनिर्माण के साथ साथ आपदा के बाद राहत, पुनर्वास और आपदा से बचाव के लिए ठोस नीतिगत कदम
- विकेन्द्रीकृत/सामुदायिक नियंत्रित आपदा प्रबंधन में महिला मंडल, युवा मंडल और पंचायतों की भूमिका का पूर्ण समर्थन
- आपदा प्रभावित भूमि के उपचार और आपदा से विस्थापितों को सुरक्षित क्षेत्रों में पुनर्वास के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत समयबद्ध छूट प्रदान
- आपदा के लिए जवाबदेही तय करना - बांध सुरक्षा अधिनियम 2022 को राज्य के सभी मौजूदा बांधों के लिए लागू करना; सीडब्ल्यूसी, आईएमपीडी जैसे संस्थानों का पुनर्गठन और सुचारू रूप से कार्यवाही में लाना; मानदंडों के उल्लंघन के मामले में दंडात्मक कार्यवाही
- जवाबदेही और दोषीता तय करना - बांध सुरक्षा अधिनियम 2022 को सभी मौजूदा परियोजनाओं के लिए लागू किया जाएगा; केंद्रीय जल आयोग जैसे संस्थानों का पुनर्गठन और क्रियाशीलीकरण,राज्य बांध सुरक्षा समिति (एससीडीएस), राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ), मौसम विभाग, केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आदि पर मानदंडों के उल्लंघन के मामले में दंडात्मक कार्रवाई
- सभी विकासात्मक कार्यों जैसे स्टोन क्रशर, रेत-बजरी खनन, नदी प्रशिक्षण और ड्रेजिंग, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजनाएँ, मलबा डंपिंग और प्रत्येक व्यावसायिक निर्माण कार्य के लिए नियमों और पर्यावरण मानदंडों को मजबूत और सख्ती से लागू करना

खुद को कानून से ऊपर समझते हैं कांग्रेसी नेता:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षो को आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रांसफॉरमेशन डिकेड बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षो में जिस स्पीड और स्केल के साथ काम हुआ है वह पहले के 60 वर्षो को मिलकर भी नहीं हुआ।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2014 में भारत एक लड़खड़ाती और चरमराती अर्थव्यवस्था में गिना जाता था। आज हम विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और अगले तीन वर्षो में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। 2014 में समाचार मिलता था कि भारत की अर्थव्यवस्था गिर रही है। आज भारत विश्व में सबसे तेजी से प्रगति करने वाला बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत को ब्राइट स्पॉट के रूप में देखा जाता है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2014 से पहले भारत में 2G स्कैम, कोयला घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, देवास घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला और न जाने कितने घोटाले होते थे। आज ईमानदार सरकार के निर्णायक और परिणाम देने वाले निर्णयों की चर्चा होती है। आज भारत में चंद्रयान, आदित्य एल 1 की सफलता है। इंटरनेशनल सोलर, अलायंस, G20, इंटरनेशनल बायोफ्यूल एलाइंस, इंटरनेशनल बिग कैट एलाइंस के चर्चे हैं। यही फर्क है।

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात करते हुये अनुराग ठाकुर ने कहा, 2014 में देश में 74 एयरपोर्ट थे आज 150 एयरपोर्ट हैं। 2014 में मात्र पांच शहरों में मेट्रो थी आज 20 शहरों में मेट्रो है। 2014 में 384 के आसपास मेडिकल कॉलेज थे आज 700 से ज्यादा हैं। 2014 में 7 एम्स थे, आज 22 हैं। 2014 में यूनिवर्सिटीज की संख्या 450 थी, आज 1100 है। 2014 में 16 आईआईएम थे, आज 23 आईआईएम हैं। 2014 में 12 आईआईटी थे, आज 19 आईआईटी हैं। 2014 में देश में लगभग 96 हजार किलोमीटर हाईवे थे, आज 1. 5 लाख किलोमीटर हाईवे हैं। 2014 में 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क थी। आज 3,75,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें जोड़ दी गई हैं। 2014 में 0 वंदे भारत ट्रेन थी, आज 41 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। 2014 में मात्र 20,000 किलोमीटर रेलवे ट्रेक्स इलेक्ट्रीफाइड थे, आज पूरे रेलवे ट्रेक्स इलेक्ट्रीफाइड हैं। 2014 में उत्तर प्रदेश में मात्र 2 – 4 एयरपोर्ट थे, आज 21 हैं। इनमें से आठ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं।

कांग्रेस के पास पैसे न होने वाले राहुल गांधी के ब्यान पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है और इसके नेता खुद को देश के क़ानून से ऊपर समझते हैं। देश का पहला रक्षा घोटाला 1947 में जीप घोटाला कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। इन्हीं की सरकार के समय बोफोर्स घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला समेत अन्य कई घोटाले हुए। इतने सारे पैसे कहां गए? राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर इनकम टैक्स नहीं लगता, पर सभी दलों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है। क्या कांग्रेस इतनी बिजी थी कि वह इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पायी? क्या इनके लिये हम नये कानून बना दें ताकि यह भ्रष्टाचार करें और इनके ऊपर कारवाई न हो? यह इनकम टैक्स रिटर्न न भरें और इनसे कोई पूछे भी न? देश के कानून, नियम और संस्थाएं देश के संविधान के नियम से चलती हैं। अगर देश के अन्य सभी राजनीतिक दल अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं तो राहुल गांधी की पार्टी क्यों नहीं भर सकती?

अनुराग ठाकुर ने भारत में बोलने की आजादी और मीडिया स्वतंत्रता पर बोलते हुए कहा, 'अगर आप इंदिरा जी का समय देखेंगे तो आपातकाल के समय मीडिया को दबाया गया, आम लोगों को भी दबाया गया और पॉलीटिकल पार्टी को भी दबाया गया। मगर आज मोदी जी के नेतृत्व वाले भारत में आम लोगों के साथ – साथ मीडिया सारे तरीके के सवाल पूछने के लिये स्वतंत्र है। अभिव्यक्ति की आजादी हमारे सोच और कार्यशैली में समाहित है। हम सदैव इसके लिए लड़े हैं और खड़े हैं।

विपक्षी नेताओं पर जांच एजेंसियों की कारवाई के ऊपर पूछे गये प्रश्न के जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा, आज से 10 वर्ष पहले देश के आम लोग पूछते थे कि इन भ्रष्टाचारियों को कब सजा मिलेगी। आज जब भ्रष्टाचार के आरोपियों पर जांच एजेंसियां कारवाई करती हैं तो आप कहते हैं चुनाव के समय कारवाई हो रही है। आज से 10 महीने पहले जब मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया तब कौन से चुनाव थे? संजय सिंह को जब जेल में डाला गया तब कौन से चुनाव थे? सत्येंद्र जैन इतने दिनों से जेल में हैं, उन्हें बेल नहीं मिल रही। उस समय कौन से चुनाव थे? सच्चाई यह है कि यह लोग भ्रष्टाचारी हैं और जांच एजेंसियां इनके खिलाफ स्वतंत्रता से कारवाई कर रही हैं। भारत में एक प्रकार से देखा जाये तो हर 6 महीने में किसी न किसी राज्य में कोई चुनाव होता है। तो क्या इस सवाल के डर से भ्रष्टाचारियों पर कारवाई न हो? जब हम वन नेशन, वन इलेक्शन की बात करते हैं तो विपक्ष उसे भी नामंजूर कर देता है। इसी प्रकार हम वन नेशन, वन टैक्स लाये तो यह कहते हैं इन्हें मंजूर नहीं। आज जीएसटी के कारण आम नागरिक को दामों में 5 से 7% की कमी आयी है। आज ट्रांसपोर्टेशन का टाइम कम हुआ है। फास्ट टैग के कारण टोल नाकों पर मात्र 43 सेकंड से कम का समय लगता है। पहले 743 सेकंड से ज्यादा लगते थे। जीएसटी से पहले टैक्स कलेक्शन 90 से 92 हजार करोड रुपए होता था। आज औसतन 1 लाख 60 हजार करोड रुपए के ऊपर जीएसटी कलेक्शन होता है। इससे देश का खजाना भरा है। और देश का खजाना भरने से गरीबों और वंचितों को लाभ मिला है।

भाजपा नेताओं ने आपदा में भी की राजनीतिः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार ने बिना केंद्र सरकार की मदद के आपदा प्रभावित 25 हजार से अधिक परिवारों को बसाया, जबकि भाजपा नेताओं ने

आपदा में भी राजनीति की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने बीते वर्ष बरसात के मौसम में अभूतपूर्व प्रा तिक आपदा का सामना किया, भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भू-स्खलन ने जन-जीवन तथा सम्पत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज जारी किया। प्रदेश में आई अभूतपूर्व आपदा के बावजूद केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने एवं उनके पुनर्वास के लिए कोई विशेष आर्थिक पैकेज नहीं दिया। इस आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश के भाजपा नेताओं का राज्य विरोधी चेहरा देखने को मिला।

उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की मदद करने की बजाये भाजपा नेता केंद्र सरकार की आर्थिक मदद रुकवाने के लिए रोड़े अटकाते रहे। जब विधानसभा में हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए राज्य सरकार प्रस्ताव लेकर आई तो भाजपा विधायक तीन दिन तक बड़ी-बड़ी बातें करते रहे। लेकिन जब प्रस्ताव के पक्ष में वोट करने की बारी आई तो भाजपा विधायक प्रस्ताव के विरोध में खड़े हो गए। भाजपा नेताओं की कथनी और करनी लोगों के सामने आ चुकी है और भाजपा नेताओं का सच राज्य की जनता जान चुकी हैं। वहीं, प्रदेश सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर के पुनर्निर्माण के लिए सहायता राशि को 1.30 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे घरों के लिए सहायता राशि को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये, दुकान या ढाबे के नुकसान पर सहायता राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये और गौशालाओं को नुकसान होने पर सहायता राशि को 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों को किराए के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हजार रुपये और शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान कर रही है। इसके अलावा राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों को सरकारी दरों पर निःशुल्क राशन, गैस कनेक्शन, निःशुल्क बिजली व पानी कनेक्शन और सरकारी दरों पर सीमेंट भी उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आम लोगों की सरकार है और जन सेवा ही एकमात्र उद्देश्य है।

घर में लगी आग का जश्न मना रहे जयराम ठाकुरःचंद्र कुमार

शिमला/शैल। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा के अन्य नेता घर में लगी आग का जश्न मनाने में लगे हैं। जयराम ठाकुर बाग़ियों का स्वागत कर रहे हैं जबकि उनकी एंट्री से नाराज़ भाजपा नेताओं ने

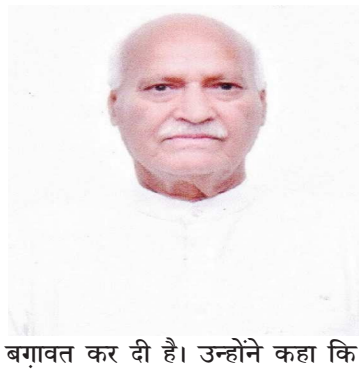

बग़ावत कर दी है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लालच में घर में लगी आग को अनदेखा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जयराम ठाकुर को लोग सत्ता के लोभी के रूप में याद करेंगे, क्योकिं लालच में आकर ही उन्होंने एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साज़िश रची। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही धन-बल का इस्तेमाल कर राज्य सरकार को अस्थिर करने का षडयंत्र किया, जोकि असफल हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार जनकल्याण के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश की जनता भाजपा नेताओं को उनके लालच का जवाब अवश्य देगी। प्रदेश की जनता अवसरवादी और धन-बल की राजनीति को किसी भी क़ीमत पर स्वीकार नहीं है।

चंद्र कुमार ने कहा कि बाग़ियों को टिकट देने से भाजपा की पूरी साज़िश जनता के सामने आ चुकी है। अब लोग जान चुके हैं क्यों भाजपा नेता ने बाग़ियों को महँगे फ़ाइव स्टार होटलों ने ठहराया, क्यों उन्हें चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर की सैर कराई और क्यों एक महीने तक उन पर करोड़ों रुपए खर्च किए। बागी उस भाजपा के साथ खड़े हैं, जो युवा, महिला और हिमाचल विरोधी हैं।

कृषि मंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने मात्र सवा साल के कार्यकाल में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल किया। महिलाओं, अनाथ बच्चों और समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएँ बनाई और उन्हें लागू किया। हिमाचल प्रदेश में 30 वर्ष में दूध खरीद मूल्य केवल 18 रुपये बढ़ा, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने गाय के दूध में 13 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य 45 रुपए किया, जबकि भैंस के दूध का ख़रीद मूल्य बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर किया। इसके साथ ही मनरेगा मज़दूरी में 60 रुपए की बढ़ौतरी की तथा प्राकृतिक खेती के गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए तथा मक्की का रेट 30 रुपए तय किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने अब तक के छोटे से कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। जबकि पिछली भाजपा सरकार ने अपने ऐशो-आराम के लिए सरकारी ख़ज़ाने का दुरुपयोग किया और हिमाचल प्रदेश को कर्ज के दलदल में धकेल दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरी ताक़त के साथ हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं और उनके ईमानदार प्रयासों से ही राज्य सरकार के ख़ज़ाने में 2200 करोड़ रुपए की बढ़ौतरी हुई है।

वर्तमान सरकार ने लिखा जन कल्याण का नया अध्यायःजगत सिंह

शिमला/शैल। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि आम आदमी की परेशानियों को समाप्त करने के लिए मात्र 14 माह के कार्यकाल में वर्तमान राज्य सरकार ने भरपूर प्रयास किए हैं। जनकल्याण का एक नया अध्याय हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, जिससे भाजपा नेता बौखलाकर षडयंत्र रच रहे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का बहाल किया, जिससे उनका बुढ़ापा सुरक्षित हुआ है। सेवानिवृत्ति के बाद जिन कर्मचारियों को एनपीएस के तहत 2000 रुपए पेंशन प्राप्त हो रही थी, पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद उन्हें 20-30 हजार से ज्यादा पेंशन मिल रही है।

राजस्व मंत्री ने कहा कि महिलाओं के साथ किए गए वादे को निभाते हुए वर्तमान राज्य सरकार ने 18 साल से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह सम्मान निधि प्रदान करना शुरू कर दिया है लेकिन भाजपा नेता महिला विरोधी बनकर इस योजना को रुकवाने के लिए ज़ोर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों की परेशानियों से भली-भाँति परिचित है, इसीलिए राज्य सरकार ने लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया, जिसके तहत 90 हजार के अधिक इंतकाल व सात हजार से अधिक तकसीम के मामले निपटाए गए। पहले किसी भी सरकार ने लंबित राजस्व मामलों को निपटाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार की नीयत और नीति साफ़ है और हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों की समस्याओं को दूर करना है।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू एक आम परिवार से संबंध रखते हैं, इसलिए वह जनता के दर्द और उनकी कठिनाईयों को जानते हैं। इसीलिए जिन वर्गो की आवाज़ पिछले 75 वर्षो में कभी नहीं सुनी गई, राज्य सरकार ने उनके कल्याण के लिए भी योजनाएँ बनाकर धरातल पर उतारी हैं। अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना शुरू की गई, जिससे आज वह समाज की मुख्यधारा से जुड़ कर सिर उठाकर जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1.15 लाख विधवा एवं एकल नारी के बच्चों की शिक्षा का खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। इसके साथ ही उन्हें घर निर्मित करने के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी राज्य सरकार प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मात्र योजनाएँ नहीं हैं, बल्कि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है कि राजनीतिक लाभ की परवाह किए बग़ैर वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ पूरी मज़बूती के साथ खड़ी है।

उन्होंने कहा कि इन्हीं योजनाओं के दम पर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव तथा विधानसभा की छह सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए मैदान में उतरेगी और बड़ी विजय हासिल करेगी। जन-बल ही वर्तमान राज्य सरकार की ताक़त है और इसी ताक़त से धन-बल हारेगा।

केवल कांग्रेस सरकार में ही कर्मचारियों के हित सुरक्षित

शिमला/शैल। मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल तथा डिप्टी चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ही कर्मचारियों की हितैषी सरकार है। उन्होंने कहा कि पहली ही कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने अपनी चुनावी गारंटी को हुए पूरा करते हुए 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया और इसे पुराने स्वरूप में लागू किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में ऐसा करना वाले हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। जबकि, राजस्थान में चुनाव के बाद वहाँ भाजपा सरकार बनते ही पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय लागू की गई पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया है। दोनों ने कहा कि केवल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही सरकारी कर्मचारियों के हित सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन प्रदान करने पर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर कई प्रकार की पांबदियां लगाई। केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता को कम किया लेकिन इसके बावजूद वर्तमान राज्य सरकार का संकल्प है कि कर्मचारियों को ओपीएस हर हाल में दी जाएगी। यही नहीं, केंद्र सरकार एनपीएस के 10 हजार करोड़ रुपए पर कुंडली मारे बैठी है।

बुटेल और पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जब भाजपा सरकार थी, तो कर्मचारियों को ओपीएस मांगने पर लाठियां मिलीं, उन पर पानी की बौछारें छोड़ी गई और मज़ाक़ बनाते हुए कर्मचारियों को चुनाव लड़ने की चुनौती दी गई। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन के लिए लंबा संघर्ष किया और वर्तमान सरकार ने उनकी मांग को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिना किसी राजनीतिक कारण के कर्मचारियों का बुढ़ापा सुरक्षित किया, ताकि उन्हें वृद्धावस्था में किसी के आगे हाथ न फैलाने को मजबूर न होने पड़े और वह आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। सरकारी कर्मचारियों ने जीवन भर हिमाचल प्रदेश के विकास में योगदान दिया है और उनकी कड़ी मेहनत से ही तरक्की के नए आयाम स्थापित हुए हैं। इसलिए, पुरानी पेंशन के माध्यम से उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों ने कहा कि मात्र सवा साल के कार्यकाल में वर्तमान राज्य सरकार ने कर्मचारियों को पहले तीन प्रतिशत और अब चार प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी किया है।

उन्होंने कहा कि बागी कर्मचारी विरोधी भाजपा के साथ खड़े हैं और भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व भाजपा सरकार ने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपए से अधिक का क़र्ज़ हो चुका है और राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्थिक बदहाली को ठीक करने के साथ-साथ वर्तमान प्रदेश सरकार कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ भी प्रदान कर रही है।

विश्वासघात करने वालों को सबक सिखाएंगे मतदाता

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह एवं मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि विश्वासघात करने वाले नेताओं को जनता विधानसभा उपचुनाव में सबक सिखाएगी। भाजपा बागियों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही है और धनबल से जनादेश को प्रभावित कर सत्ता पर क़ब्ज़ा करने का षडयंत्र रचा गया। कम से कम भाजपा नेताओं को अपने वरिष्ठ नेता शांता कुमार जी की बात पर आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्हें दिल पर हाथ रखकर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की बातों पर विचार करने की जरूरत है।

दोनों नेताओं ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सत्ता लोभ जा नहीं जा रहा है और वह सत्ता हथियाने के लिए ग़लत हथकंडे अपना रहे हैं। उन्हीं के लालच ने प्रदेश को अस्थिर करने का प्रयास किया। भाजपा दोफाड़ होने को है और पार्टी अपना कुनबा संभाल नहीं पा रही है। भाजपा के कई विधायक, पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, जो कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ आ सकते हैं। भाजपा के कई नेताओं ने पार्टी से नाराज़ होकर अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन जयराम ठाकुर सिर्फ मुख्यमंत्री के लालच में फँसे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बाग़ियों को टिकट मिलने से भाजपा की साज़िश हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने आ चुकी है। प्रदेश की जनता जान चुकी है कि हिमाचल प्रदेश की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को गिराने का षडयंत्र भाजपा नेताओं ने बाग़ियों के साथ मिलकर रचा। यह बात साबित हो चुकी है कि हिमाचल प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग हुई। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता बिकाऊ राजनीति में विश्वास नहीं रखती और एक जून को इसका करारा जवाब देगी।

अनिरुध सिंह एवं सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि जिन बाग़ियों ने अपनी मां समान पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा, वह कभी सच्चे जनसेवक नहीं हो सकते हैं। इन नेताओं ने अवसरवादी बनकर अपने चुनाव क्षेत्र की जनता की भावना का अपमान किया है क्योंकि मतदाताओं ने उन्हें कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विजयी बनाया था। उन्होंने कहा कि जो पार्टी के नहीं हुए, वह जनता के कभी भी नहीं हो सकते हैं। प्रदेश की जनता के सामने उनका असली चेहरा आ चुका है। उन्होंने कहा कि स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसे नेता कभी भी अपने चुनाव क्षेत्र की जनता को नीलाम करने से पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए बाग़ियों की हार निश्चित है।

दोनों नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू एक ईमानदार व्यक्ति हैं और सरकार बनने के बाद से ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्ती से कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश का बच्चा-बच्चा ईमानदार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ खड़ा है और यही कांग्रेस पार्टी की ताकत है। इसी ताक़त के सहारे कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरेगी और लोकसभा की चारों सीटों के साथ-साथ 6 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में बड़े अंतर से विजयी होगी।

हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में खेल महाकुंभ, भारत दर्शन, एक से श्रेष्ठ ने युवाओं के हौसलों को दी नई उड़ान:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से राष्ट्रनिर्माण की बात कही है। इसके अतिरिक्त अनुराग ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में स्वयं द्वारा चलाए जा रहे युवा केंद्रित कार्यक्रमों की भी जानकारी दी।

अनुराग ठाकुर ने युवा का मतलब समझाते हुए कहा, मोदी सरकार युवाओं के शक्तिकरण से राष्ट्रनिर्माण के लिए समर्पित रही है। युवा का मतलब है देश की ताकत, आत्मनिर्भरता और कॉन्फिडेंस। आज का युवा भारत की वह पीढ़ी है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाएगा। युवा भारत की नीति भी है, नेतृत्व भी है और नियति भी है।

अनुराग ठाकुर ने कहा अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि युवा का मतलब क्या है। मोदी जी ने उम्र के बंधन को तोड़ दिया है। चाहे 12,000 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ में साधना करना हो, तेजस फाइटर जेट को हवा में उड़ाना हो, डीप सी डाइविंग करनी हो, बगैर अन्न के 11 दोनों का अनुष्ठान करना हो या प्रत्येक नवरात्रि में बिना अन्न ग्रहण किए विदेश से लेकर देश के सभी कार्यो को सुचारू ढंग से करना हो, मोदी जी ने इन सभी कार्यो का इतनी सरलतापूर्वक निर्वहन किया है जिससे पता चलता है कि युवा होना मोदी जी के सोच और कार्यो में समाहित है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में भी बिना किसी सरकारी सहायता के युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चालू किए हैं जिनका सुखद परिणाम आज जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। मेरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महाकुंभ, सांसद भारत दर्शन, एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम ने युवाओं के हौसलों को नई उड़ान दी है।

अनुराग ठाकुर ने सांसद खेल महोत्सव की जानकारी देते हुए बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि खेलोगे तभी खिलोगे। और इसीलिए सांसद खेल महाकुंभ आयोजन मेरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान कर रहा है बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने का भी अवसर दे रहा है। मेरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के खिलाड़ियों को खेलने, खिलने और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए सांसद खेल महाकुंभ सबसे बड़ा मंच बना है। सांसद खेल महाकुंभ के पहले संस्करण में 40,000 और दूसरे संस्करण में 45,000 लोग इसमें शामिल हुए थे। इस बार हमने 75,000 खिलाड़ियों की भागीदारी का लक्ष्य रखा है।

अनुराग ठाकुर ने कहा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही प्रेरणा है कि पूरे देश में लगभग 300 सांसद अपने-अपने क्षेत्र में सांसद खेल महाकुंभ के म डल को अपना कर अपने यहाँ इसका आयोजन करवा रहे हैं। सांसद खेल महाकुंभ की लोकप्रियता इतनी है की हमारे युवा आज पूरी तरह से नशे से दूर होकर खेलों में अपना करियर बनाने को आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें पता है कि खेलों में आगे बढ़ने से वह तन और मन दोनों से फिट रहेंगे और परिवार के साथ-साथ देश को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकेंगे।

अनुराग ठाकुर ने आगे बताया कि अभी हाल ही में हमने हमीरपुर और हिमाचल से नशा के समूल नाश हेतु नशा मुक्त और सुरक्षा युक्त अभियान की शुरुआत की है। इसमें हम अपने युवाओं को इस अभियान का ब्रांड एंबेसडर बनाते हैं और उन्हें हेलमेट भी प्रदान करते हैं। अभी तक हमने पूरे क्षेत्र में लगभग 10000 हेलमेट युवाओं को दिए हैं।

अनुराग ठाकुर ने सांसद भारत दर्शन के बारे में बताते हुए कहा, मैं इस योजना के अंतर्गत अपने क्षेत्र के मेधावी छात्र-छात्राओं को भारत भ्रमण पर ले जाता हूं ताकि वह देश-विदेश में चल रही नई तकनीकों को जान सके और उसके अनुरूप अपना कैरियर बना सकें।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि ठीक इसी प्रकार हमने तीन केंद्रों के साथ एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम की शुरुआत की थी जहां जरूरतमंद बच्चों अपनी जरूरी पढ़ाई कर सकें। पूरे क्षेत्र में 500 से अधिक एक से श्रेष्ठ केंद्र सुचारू हैं जहां 10000 से अधिक बच्चे अपना भविष्य संवार रहे हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को सदैव अपना दूसरा घर माना है। हिमाचल जैसे छोटे से पहाड़ी राज्य को उन्होंने इतना विकास दिया है कि यहां के युवाओं को आगे बढ़ाने में कभी कोई मुश्किल ना हो।

कांग्रेस सरकार बौखलाहट में अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है:बिंदल

शिमला/शैल। डॉ. राजीव बिन्दल, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और हिमाचल की कांग्रेस सरकार बौखलाहट में अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है और भरी दोपहरी में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल शिमला के रिज मैदान में अपनी खीज मिटाने के लिए गुंडागर्दी पर उतर आई है। जिस प्रकार आशियाना में दिन दिहाड़े कांग्रेस के लोगों ने घुसकर रवि ठाकुर के उपर हमला करने का प्रयास किया वो सरकार की सोची समझी चाल का परिणाम है। यदि रवि ठाकुर की सुरक्षा में सैन्ट्रल फोर्सिस न होती तो स्थितियां बहुत भयानक होती। भाजपा के प्रदेश मीडिया संयोजक कर्ण नंदा के साथ मैन हैंडलिंग की और सब कुछ मीडिया के सामने किया, इससे बड़ी दादागिरी नहीं हो सकती अर्थात जहां वर्तमान सरकार बिगडती कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं वहीं राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से लॉ लैसनेस पैदा कर रही है।

डॉ. बिन्दल ने कहा कि हिमाचल में स्थित मण्डी जोकि पूरे भारत में छोटी काशी के नाम से जाना जाता है व ऋषि वेद व्यास की पावन धरा है, को बदनाम करने में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। मण्डी के लोगों और मण्डी की धरती के प्रति अपमानजनक, निंदनीय, अशोभनीय शब्दों का प्रयोग जानबूझकर कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया जा रहा है जो किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जा सकता।

डॉ. बिन्दल ने कहा कि एक ओर माताओं, बहनों की आबरू पर हमला हो रहा है तो दूसरी तरफ शिमला के रिज पर सरकार प्रायोजित हमले शुरू हो गये हैं। उन्होनें कहा कि इन दोनों घटनाओं की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को दोनों प्रकरण पर मांगनी चाहिए।

अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगी भाजपा

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार गुंडागर्दी पर आ गई है। चुने

हुए जन प्रतिनिधियों के साथ इस तरह का बर्ताव कर रही है। इस प्रकार का दुस्साहस किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेगी।

प्रदेश में क़ानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है। यह सरकार के खुफ़िया तंत्र की भी नाकामी है। आचार संहिता के दौरान इस तरह से भीड़ का अचानक आ जाना और एक राज्य सभा सांसद पर हमला करना कांग्रेस की हताशा के कारण हैं। इस मामले में सरकार गंभीरता से ले। प्रदेश में अराजकता का माहौल हैं। प्रदेश में जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं हैं। चुनाव आयोग इन मामलों का संज्ञान ले।

इस दौरान भाजपा प्रदेश अधिकारियों के साथ भी हाथापाई की गई जो की अतिनिंदनिय है। प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा को इस द्वारा धक्के भी दिए गए।

कांग्रेस के कुछ और भी विधायक भाजपा में आ सकते हैं:रणधीर शर्मा

शिमला/शैल। भाजपा विधायक एवम मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा कि पिछले एक डेढ़ महीने के घटनाक्रम से जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस समर्थक विधायकों की संख्या 43 से घटकर 34 पर आ गयी है उससे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेताओं में निराशा और हताशा है और मुख्यमंत्री समेत वह सभी नेता

निराशा हताशा के कारण इतनी बौखलाहट में है कि वह आये दिन निम्न स्तरीय ब्यानबाजी कर रहे हैं। जिन विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है उन विधायकों पर बिना प्रमाण के बिना तथ्यों के आरोप लगा रहे हैं कि वह विधायक बिक गये है उन विधायकों को काले नाग की संज्ञा दि जाती है कभी उन विधायकों को भेड़ कहा जाता है और कभी उनको मेंढक की संज्ञा दी जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा का मानना है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं विशेष कर मुख्यमंत्री जो निराधार तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री स्तर के नेता को बिना तथ्यों के आरोप लगाना शोभा नहीं देता या तो अपने आरोपों के साथ प्रमाण दें अन्यथा इस ब्यानबाजी को तुरंत बंद करें।

आज उनके विधायकों की संख्या 43 से घटकर 34 पर आ गयी है जिन विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है वह खुलकर अपनी बात कर रहे हैं उन्होंने शुरू से कहा है कि वह इस सरकार की एक साल की नीतियों और मुख्यमंत्री की कार्य शैली से परेशान और तंग होकर पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो गये जिसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने एक साल में अपने चुनावी वादों को पूरा करना तो दूर अपनी गारंटीयों को पूरा करने के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई।

उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रति आज देशभर में आकर्षण और देश भर से कांग्रेस पार्टी के नेता अन्य विपक्षी दलों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो रहे है, क्योंकि मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान देशहित और जनहित में अनेक नीतियां बनाई और अनेक विकास के नए आयाम खड़े किए।

उन्होंने कहा कि हिमाचल 6 कांग्रेस पार्टी के विधायक भाजपा में आये हैं तो इसमें हैरानी की बात नहीं है आश्चर्य की बात नहीं है। हालत तो यह बने हैं कि और भी कई विधायक भाजपा में आ सकते हैं क्योंकि दिन प्रतिदिन मोदी सरकार के प्रति लोगों का जो विश्वास और श्रद्धा बढ़ रही है और सनातन को बढ़ाने का काम सनातन के प्रति जनता में विश्वास पैदा करने का काम हमारे देश के लोगों के आस्था के केंद्रो को विकसित करने का काम मोदी ने किया है । विशेष रूप से अयोध्या में भगवान राम की जन्म भूमि पर मंदिर बनाकर प्राण प्रतिष्ठा करके जो विश्वास लोगों के मन में पैदा हुआ है वह भी एक कारण बन रहा है कि बहुत से लोग भाजपा की ओर बढ़ रहे है।

उन्होंने कहा कि जिन पार्टी के नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकराया उस बात को तो उन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने भी अच्छा नहीं समझा और वह भी एक कारण है कि देश भर के नेता अन्य पार्टियों को छोड़कर भाजपा में आये हैं और हिमाचल प्रदेश में इन विधायकों का आना भी उसका एक कारण है।

रणधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जिन तीन आजाद विधायकों ने त्यागपत्र दिए उन त्यागपत्रों को स्वीकार न करना उसको संवैधानिक मानती है वह गैरकानूनी है क्योंकि जब कोई विधायक व्यक्तिगत रूप से पेश होकर त्यागपत्र देता है तो उसके लिए संवैधानिक व्यवस्था यही है कि उस त्यागपत्र को स्वीकार किया जाता है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा के उप चुनाव में अपने संभावित हार को देखकर इतनी बौखला और निउत्साहित हो गई है कि वह तीन और उपचुनाव पेश करने की स्थिति में नहीं वह जानते हैं लोकसभा की चारों सीट तो भाजपा जीतेगी।

हार सामने देख गुंडागर्दी पर उतरी कांग्रेस:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। केंद्रीय सूचना प्रसारण व खेल एवम् युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आशियाना में कांग्रेस पार्टी व उनके समर्थकों द्वारा रवि ठाकुर जी व भाजपा के प्रदेश मीडिया संयोजक कर्ण नंदा के साथ मीडिया के सामने मैन हैंडलिंग को कांग्रेस पार्टी की गुंडागर्दी करार देते हुए इसे हार की बौखलाहट करार दिया है।

अनुराग ठाकुर ने कहा पूरा देश कांग्रेस को नकार चुका है और आने वाले लोकसभा चुनावों में मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी को अपनी ये दुर्गति हज़म नहीं हो रही है। हार का डर इनके अंदर इस कदर समा गया है कि अब कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थक सरेआम गुंडागर्दी पर उतर आये हैं। आशियाना में दिन दिहाड़े कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह रवि ठाकुर व भाजपा के प्रदेश मीडिया संयोजक कर्ण नंदा के साथ मीडिया के सामने मैन हैंडलिंग की है यह उनकी गुंडागर्दी, उनके छिछलेपन को दिखाता है। यह हमला प्रदेश सरकार के क़ानून व्यवस्था को भी ठेंगा दिखाता है व कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की सोची समझी चाल व उनकी मिलीभगत का परिणाम है। कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ता सामने करारी हार देख कर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और आये दिन दुर्व्यहार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस कृत्य की जितनी निंदा की जाये कम है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों का आंकड़ा हुआ 2,66,304

- चुनावों की पूर्व संध्या पर बढ़ाये बिजली पानी और कूड़े के रेट
- बिजली दरें बढ़ने के बाद भी बिजली बोर्ड की कठिनाई बढ़ेंगी

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अभी तक लोकसभा और विधानसभा के उपचुनावों के लिये अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पायी है। कांग्रेस और विधायकी छोड़कर जो बागी भाजपा में शामिल हुये हैं उनका सरकार के खिलाफ बड़ा आरोप रहा है कि यह सरकार विधानसभा चुनावों के दौरान जनता को दी गारंटीयां पूरी करने की ओर कोई कदम नहीं उठा पायी है। युवाओं को जो नौकरियां देने का वायदा किया था उस वायदे को पूरा करने के बजाये उस बोर्ड को ही भंग कर दिया जिसके माध्यम से नौकरियां दी जाती थी। आज यह सरकार 1,36,000 कर्मचारीयों को पुरानी पैन्शन योजना के तहत लाने का श्रेय ले रही है लेकिन इसमें अभी तक केवल 3899 कर्मचारियों के मामले ए.जी. ऑफिस को भेजे गये हैं। यह जानकारी विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी गयी है। यह सरकार एक वर्ष में कितने लोगों को सरकार और इसके उपक्रमों में नौकरियां दे पायी हैं? इस आश्य के हर सवाल के जवाब में कहा गया की सूचनाएं एकत्रित की जा रही है। अभी चुनावों से पहले महिलाओं को 1500 रूपये प्रति माह देने की अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना के साथ वह फॉर्म भी संलग्न है जो आवेदक को भर कर देना है। लेकिन इस फॉर्म में आवेदन के लिये जो राइडर दर्ज है उनके अनुसार यह लाभ पाने वाले व्यवहारिक रूप से बहुत कम रह जायेंगे। जबकि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या 2020-21 में 2,58,852 के आंकड़े से बढ़कर 2023-24 में 2,66,304 परिवार हो गयी है। यह आंकड़ा भी विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में आया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि इस सरकार के कार्यकाल में गरीबी बढ़ी है।

इस सरकार ने सत्ता संभालने के बाद प्रदेश की कठिन वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुये डीजल पर वैट बढ़ाया बिजली पानी के रेट बढ़ाये। कूड़ा शुल्क की दरें बढ़ाई। अब फिर इन दरों में दस प्रतिशत की दर से वृद्धि कर दी गई है। कांग्रेस ने चुनावों में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की थी क्योंकि पिछली सरकार 125 युनिट बिजली मुफ्त दे रही थी इसलिए उससे बड़ी घोषणा करनी थी। लेकिन सत्ता संभालने के बाद यह कहा गया कि पहले एक हजार मेगावाट का नया उत्पादन पैदा करेंगे और फिर तीन सौ यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। इस आश्य का भी बजट सत्र में एक प्रश्न आया था जिसके उत्तर में कहा गया है कि अभी तक कोई भी नया समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित नहीं हुआ है। अब विद्युत नियामक आयोग ने चुनावों की पूर्व संध्या पर बिजली की नयी दरें घोषित कर दी है। यह नयी दरें उपभोक्ता से वसूलने की बजाये इसका बोझ सरकार उठाकर इसकी क्षतिपूर्ति बिजली बोर्ड को करने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ बिजली बोर्ड सरकार को मिल रही 12% मुफ्त बिजली सरकार से 2.57 पैसे प्रति यूनिट खरीदता था वह सुविधा बोर्ड से वापस ले ली गयी है जिसके कारण बोर्ड को खुले बाजार से महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ेगी। इस समय बोर्ड की आय और व्यय में करीब डेढ़ सौ करोड़ का अन्तर है। सरकार के फैसले से बोर्ड का वित्तीय प्रबंधन और बिगड़ेगा क्योंकि सरकार अभी 125 यूनिट मुफ्त बिजली की क्षतिपूर्ति ही बोर्ड को नहीं कर पायी है। नये बोझ से यह क्षतिपूर्ति 2000 करोड़ वार्षिक से भी बढ़ जायेगी। इस समय बोर्ड पर 1600 करोड़ से अधिक की देनदारी खड़ी है। इस तरह सरकार के ऐसे फैसलों से न तो संस्थाओं का भला हो पा रहा है न ही आम जनता का।

इस समय चुनावों की पूर्वसंध्या पर बिजली पानी और कूड़े के शुल्क बढ़ाना जानबूझकर आम आदमी पर बोझ डालने जैसा हो जायेगा। क्योंकि जिस अनुपात में सरकारआवश्यक सेवाओं और वस्तुओं के दाम बढ़ा रही है उसी अनुपात में आम आदमी की क्रय शक्ति नहीं बढ़ रही है। जब सरकार की योजनाओं का लाभ प्रतिफल गरीबी रेखा से नीचे का आकड़ा बढ़ने के रूप में सामने आये तो इन योजनाओं पर स्वत: ही प्रश्नचिन्ह लग जाता है।

Particulars	Slabs	Units/month	Approved Energy Tariff for FY25 (Rs/kWh)*	Total GoHP Subsidy for FY25 (Rs./kWh)*	Effective Energy Tariff after subsidy (Rs/kWh)*
EV Charging			6.79	0.97	5.82

**For consumers governed under 2-part tariff, subsidy will be in Rs./kVAh*

 # Domestic consumers without having NOC/ approval from TCP/ Municipalities/ government authorized agencies/ statutory authorities, shall be required to bear the rate of highest slab under domestic category for the complete consumption in any billing cycle. These Consumers shall also not be eligible for availing the GoHP subsidy as well.

b. Further, the GoHP shall provide subsidy against the Fixed Charges for Domestic Consumers as shown below:

Table 294: Subsidized Effective Fixed Charge

Particulars	Slabs	Units/month	Approved Fixed Charges for FY25 (Rs/conn./month)	GoHP Subsidy for FY25 (Rs./conn./ month)	Effective Fixed Charges after subsidy (Rs/kWh)
Domestic Consumers	Lifeline Consumers	0-60	55	55	Nil
	1st Slab	0-125	85	85	Nil
	2nd Slab	126-300	85	-	85
	3rd Slab	Above 300	85	-	85

c. With respect to agricultural Consumers under Irrigation and Drinking Water

क्या विधानसभा अध्यक्ष .....पृष्ठ 1 का शेष

का प्रयास किया जाता है तो क्या यह राजनीतिक और प्रशासनिक अस्थिरता नहीं बन जायेगा? क्या ऐसी स्थिति में राज्यपाल के हस्तक्षेप के लिये न्योता नहीं बन जायेगी? जब निर्दलीय त्यागपत्र स्वीकार करने के लिये अध्यक्ष के कक्ष के बाहर धरने पर बैठकर अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करने के बाद भी अध्यक्ष त्यापत्र स्वीकारने में देरी करे तो उस स्थिति को क्या कहा जायेगा? कानून के जानकारों के मुताबिक अध्यक्ष फैसला लेने में जितना समय लगायेंगे वह स्थिति स्वत: ही राज्यपाल के हस्तक्षेप की भूमिका तैयार करना बन जायेगा। क्योंकि अस्थिरता का संज्ञान लेना राज्यपाल का वैधानिक दायित्व है। इसलिये अस्थिरता की परिभाषा राज्यपाल का अपना विवेक है जिसे किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

क्या भाजपा में उठा रोष .....पृष्ठ 1 का शेष

इसके लिये संविधान बदलने की तैयारी है। क्या यह नाराज लोग इसका विरोध करने का साहस करेंगे? इस समय इलैक्टोरल बॉ ड का खुलासा सबसे गंभीर मुद्दा बनने जा रहा है। क्या यह नाराज लोग इसका विरोध करने को तैयार होंगे? यदि सैद्धांतिक मुद्दों पर इन रुष्ट लोगों की कोई राय नहीं है तो इनके कथित विरोध और कांग्रेस द्वारा लगाये जा रहे आरोपों में कोई ज्यादा अन्तर नहीं रह जाता है।

इस समय कांग्रेस इस दल बदल को जिस भाषा में कोस रही है यदि उसके स्थान पर बागियों द्वारा पिछले एक वर्ष से उठाये जा रहे सार्वजनिक मुद्दों का तर्क पूर्ण जवाब जनता के सामने रखती तो स्थिति कुछ और होती। इस दल बदल तक सरकार के खिलाफ यह आरोप लगातार लगता रहा है की सरकार में कार्यकर्ताओं का सम्मानजनक समायोजन नहीं हो पाया है? क्या बदली परिस्थितियों में यहआरोप झठा हो गया है? यह लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव प्रदेश सरकार की परफॉरमैन्स पर लड़े जायेंगे। यह देखा जायेगा की सरकार ने इस एक वर्ष में कौन से नये विधेयक पारित किये है और उनका क्या प्रभाव पड़ा है। सरकार ने लैण्ड सीलिंग विधेयक में संशोधन किया है और यह संशोधित विधेयक महामहिम राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिये लंबित है। लेकिन इस संशोधन को पारित करते समय प्रदेश के सामने यह नहीं आ पाया है कि आज लैण्ड सीलिंग सीमा से अधिक जमीन रखने के मामले सरकार के संज्ञान में आये हैं। यह चुनाव बहुत सारे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा। इस परिदृश्य में यह देखना महत्वपूर्ण होगा की भाजपा में उठाता रोष कोई ठोस आकर ले पायेगा या नहीं?